राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

अपील संख्या :– 1654/2012

रमेश चन्द सोनी **–अपीलार्थी**

बनाम

1. जिला कलेक्टर, झालावाड़।
2. निदेशक, पेंशन एवं पेंशनर्स कल्याण विभाग, राजस्थान, जयपुर।
3. कोषाधिकारी, झालावाड़।

–प्रत्यर्थीगण

प्रस्तुतिकरण की दिनांक : 05.11.2012
आदेश की दिनांक : 18.09.2023

उपस्थित –
अपीलार्थी की ओर से : श्री सुरेन्द्र सिंह, अभिभाषक
प्रत्यर्थीगण की ओर से : श्री हेमन्त धारीवाल, राजकीय अधिवक्ता

समक्ष :– शुचि शर्मा, सदस्य
चेतन राम देवड़ा, सदस्य

आदेश

प्रस्तुत अपील में अपीलार्थी द्वारा यह अनुतोष चाहा गया है कि अपील स्वीकार कर प्रत्यर्थी विभाग को यह निर्देश दिए जावें कि अपीलार्थी को उसके ईलाज में खर्च हुई राशि रूपये 60,393.45/– का भुगतान (पुनर्भरण) मय 18 प्रतिशत ब्याज वार्षिक की दर से दिलाया जावे।

अपील के तथ्य संक्षेप में निम्न प्रकार हैं :–

अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता का कथन है कि अपीलार्थी आवश्यक कार्य हेतु इंदौर, मध्यप्रदेश गया हुआ था, वहां उसे अचानक हार्ट अटैक हुआ और उसे दिनांक 17.03.2010 को मालवा हॉस्पिटल, इंदौर में भर्ती कराया गया, जहां पर वह दिनांक 04.04.2010 तक भर्ती रहा। आरटी क्लीयरेंस थैरेपी प्रणाली की सुविधा इंदौर में ही संभव है। अपीलार्थी के उपचार में दिनांक 11.03.2010 से 04.04.2010 तक राशि रूपये 60,393.45/– का खर्चा हुआ। राशि के संबंध में अस्पताल से जारी प्राप्त रसीद दिनांक 05.05.2010 जो अनुलग्नक–2 से प्रकट है, उक्त राशि के क्षतिपूर्ति के दावे हेतु मेडिकल बिल प्रस्तुत किया, जो अनुलग्नक–3 है। परंतु विभाग द्वारा उक्त राशि का कोई भुगतान नहीं किया गया, जिसके क्रम में अपीलार्थी ने अभ्यावेदन दिया। परंतु उसका कोई निराकरण नहीं किया गया। अपीलार्थी ने अपने विद्वान् अधिवक्ता द्वारा दिनांक 06.09.2011 को प्रत्यर्थी विभाग को न्याय की मांग का

नोटिस भिजवाया और अधिकरण के समक्ष अपील प्रस्तुत करते हुए प्रार्थना की है कि अपील स्वीकार कर प्रत्यर्थी विभाग को यह निर्देश दिए जावें कि अपीलार्थी को उसके ईलाज में खर्च हुई राशि रूपये 60,393.45/– का भुगतान (पुनर्भरण) मय 18 प्रतिशत ब्याज वार्षिक की दर से दिलाया जावे।

प्रत्यर्थी विभाग के विद्वान् राजकीय अधिवक्ता ने अपील का लिखित जवाब प्रस्तुत करते हुए यह प्रतिवाद किया है कि अपीलार्थी को हृदयाघात होने पर दिनांक 11.03.2010 से 04.04.2010 तक मालवा हॉस्पिटल एवं रिसर्च सेंटर, इंदौर में भर्ती रहकर आरटीक्लीयरेंस थैरेपी द्वारा ईलाज कराया। राजस्थान पेंशनर चिकित्सा रियायत योजना, 2009 के पैरा 4 तथा राजस्थान सिविल सेवाएं (चिकित्सा परिचर्या) नियम, 2008 के नियम 10(1) के अनुसार निर्देश के बिना राज्य के बाहर स्थित चिकित्सालयों में चिकित्सा परिचर्या और उपचार की सुविधा नहीं दी जावेगी। नियम 10(3) के अनुसार यदि कोई पेंशनर आपात परिस्थितियों में राज्य के बाहर चिकित्सालय में गुर्दा, हृदय रोगी जैसी जानलेवा रोग का और कुछ अचानक दुर्घाटना अंतरंग रोगी रहकर उपचार कराता है तो ऐसी स्थिति आपात परिस्थितियों को समाधानप्रद्ध रूप से स्पष्ट करने पर उपगत चिकित्सा व्यय की प्रतिपूर्ति उस लागत तक अनुज्ञात कर सकेगी, जो तब उपगत की जाती। यदि उपचार एस.एम.एस. चिकित्सालय, जयपुर में करवाया जाता। पेंशनर द्वारा इसी बीमारी का कोटा में दिनांक 14.09.2010 से 25.09.2010 तक भर्ती रहकर सी.ए.बी.जी. करवाई जाने पर नियमानुसार रूपये 50,000/– का भुगतान किया जा चुका है, परंतु अपीलार्थी द्वारा करवाए गए ईलाज की पद्धति ईईसीपी थैरेपी अनुमोदित ट्रीटमेंट की श्रेणी में सम्मिलित नहीं होने के कारण व्यय भुगतान नहीं किया जा सकता। अतः अपीलार्थी की अपील खारिज फरमाई जावे।

हमनें उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्ताओं की बहस सुनी एवं पत्रावली में उपलब्ध समस्त दस्तावेजों का ध्यानपूर्वक अवलोकन कर मनन किया।

प्रकरण के तथ्यों, अभिलेख एवं अभिवचनों से यह प्रकट होता है कि अपीलार्थी जिस समय इंदौर में था, को अचानक हार्ट अटैक हुआ और उसे दिनांक 17.03.2010 को मालवा हॉस्पिटल, इंदौर में भर्ती कराया गया, जहां पर वह दिनांक 04.04.2010 तक भर्ती रहा। अपीलार्थी के द्वारा उपचार में दिनांक 11.03.2010 से 04.04.2010 तक राशि रूपये 60,393.45/– का खर्चा हुआ। राशि के संबंध में अस्पताल से जारी प्राप्त रसीद दिनांक 05.05.2010 जो अनुलग्नक–2 है, उक्त राशि के क्षतिपूर्ति के दावे हेतु मेडिकल बिल प्रस्तुत किया, जो है। परंतु विभाग द्वारा उक्त

राशि का कोई भुगतान नहीं किया गया। जहां तक विभाग द्वारा अपीलार्थी के हृदयाघात बीमारी के उपचार में हुए व्यय राशि रूपये 60,393.45 का भुगतान नहीं किए जाने का प्रश्न है, अनुलग्नक–1 व 2 से यह प्रकट होता है कि अपीलार्थी द्वारा श्री मालवा हॉस्पिटल एवं रिसर्च सेंटर, इंदौर में उपचार करवाया गया, जिसका व्यय भुगतान हेतु अपीलार्थी द्वारा विभाग को प्रस्तुत किया गया। परंतु उक्त व्यय राशि का भुगतान अपीलार्थी को विभाग द्वारा नहीं किया गया। हम प्रत्यर्थी विभाग के इस तर्क से सहमत नहीं है कि अपीलार्थी द्वारा हृदयाघात बीमारी का उपचार राज्य से बाहर कराने पर हुए व्यय का भुगतान नहीं किया जा सकता। माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा डी.बी.सिविल स्पेशल अपील रिट संख्या 1162/2014 शासन सचिव चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग बनाम अशोक कुमार जैन में पारित आदेश दिनांक 02.04.2018, जिसमें प्रार्थी को चिकित्सालय द्वारा रैफर नहीं किए जाने पर भी उसके द्वारा आगरा में उपचार करवाया गया, जिसके क्रम में प्रार्थी की अपील स्वीकार करते हुए विभाग को उपचार हेतु हुए व्यय का भुगतान किए जाने का आदेश फरमाया गया। विभाग द्वारा प्रस्तुत जवाब में यह भी अंकित किया गया है कि नियम 10(3) के अनुसार यदि कोई पेंशनर आपात परिस्थितियों में राज्य के बाहर चिकित्सालय में गुर्दा, हृदय रोगी जैसी जानलेवा रोग का और कुछ अचानक दुर्घाटना अंतरंग रोगी रहकर उपचार कराता है तो ऐसी स्थिति आपात परिस्थितियों को समाधानप्रद्ध रूप से स्पष्ट करने पर उपगत चिकित्सा व्यय की प्रतिपूर्ति उस लागत तक अनुज्ञात कर सकेगी, जो तब अवगत की जाती यदि उपचार सवाई मानसिंह चिकित्सालय, जयपुर में करवाया जाता। इससे हमारे मत में यह स्पष्ट होता है कि राज्य के बाहर भी ऐसी परिस्थितियों में हृदय रोगी जानलेवा जैसे रोगों का उपचार कराया जा सकता है। अतः अपीलार्थी की अपील स्वीकार किए जाने योग्य है।

उपर्युक्त विवेचन के आधार पर अपीलार्थी की अपील स्वीकार की जाती है तथा प्रत्यर्थी विभाग को यह निर्देश दिए जाते हैं कि अपीलार्थी के हृदयघात के उपचार में हुए व्यय राशि रूपये 60,393.45 का नियमानुसार उक्त न्यायिक दृष्टांत एवं राज्य सरकार के नियमों को ध्यान में रखते हुए भुगतान किया जावे।

(चेतन राम देवड़ा)
सदस्य

(शुचि शर्मा)
सदस्य